संख्या-31/2016/5373/26-3-2015-4(56)/96-टी.सी.

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 15 फरवरी,2016

विषयः- गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत तकनीकी त्रुटियों के कारण छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों की देयता निस्तारण हेतु व्यय की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-24/2015/1061/26-3-2014-4(56)/96 टी.सी., दिनांक-10.04.2015 के क्रम में अपने पत्र संख्या-3356/स0क0/शिक्षा/2015-16, दिनांक-14.12.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत तकनीकी त्रुटियों के कारण छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों की देयता निस्तारण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 में निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि रू0-1250.00 करोड़ में से रू0-113.4757176 करोड़ व्यय की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015, में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में शासनादेश संख्या-24/2015/1061/26-3-2014-4(56)96 टी.सी., दिनांक-10.04.2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत केन्द्र पुरोनिधानित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु आय व्ययक प्राविधान रू0-1250.00 करोड़ (रू0-बारह अरब पचास करोड़ मात्र) की धनराशि केन्द्रांश की प्रत्याशा में आपके निवर्तन पर रखी गयी है।

3- अतएव आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्तावानुसार प्रश्नगत योजनान्तर्गत आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0-1250.00 करोड (रू0-बारह अरब पचास करोड़ मात्र) में से गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत तकनीकी त्रुटियों के कारण छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों की देयता हेतु रू0-113.4757176 करोड़ (रू0-एक अरब तेरह करोड़ सैतालिस लाख सत्तावन हजार एक सौ छियत्तर मात्र) के व्यय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि व्यय की गयी धनराशि का पूर्ण विवरण/उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-31/2016/5373(1)/26-3-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4-वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

6-राज्य योजना आयोग-1/2

7-निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।

8-गार्डफाइल इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।